

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मात्र मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 773/2017 सदरा— डोटियाल मोटर मार्ग में सौन्दर्यीकरण हेतु लगाये गये सुगम्भित पुष्प/पौधों की सुरक्षा हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 30.09.2021 के सांय 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 4.00 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत प्रभागीय निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 29.09.2021 तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्रो सं०	कार्य का विवरण	कार्य की लागत रु० में	नेक जमानत की धनराशि (रु०में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की तिथि	ठेकेदार की पंजीकरण श्रेणी
1	जौरासी वन क्षेत्र के सदरा— डोटियाल मोटर मार्ग में पौधों की सुरक्षा हेतु 1250 ट्री—गाड़ी का निर्माण एवं स्थल पर लगाना	3415000.00	70000	500+18% जी०एस०टी० सहित	31 दिसम्बर 2021	किसी भी राजकीय निर्माण विभाग में पंजीकृत (डी अथवा उच्चतर श्रेणी)

निविदा की शर्तें व निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती हैं तथा कार्य का प्राकलन भी।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- 1— नेक जमानत की धनराशि 2 प्रतिशत निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंकों की एफ०डी०आर०/टी०डी०आर० के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पदनाम से बंधक होनी अनिवार्य है।
- 2— सर्वांगीन नहीं होगी एवं अपूर्ण भरी निविदा भी मान्य नहीं होगी।
- 3— निविदा हेतु निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर दिनांक 29.09.2021 तक रु० 500+18% जी०एस०टी० से क्य किये जा सकते हैं।
- 4— निविदा स्वीकृत के उपरान्त अनुबन्ध सम्बन्धी शासकीय वसूलियां तथा जी०एस०टी० रौयल्टी अन्य नियमानुसार ठेकेदार द्वारा देय होगी।
- 5— निविदा दरे प्रतिशत (कमी/अधिक) में करनी अनिवार्य है।
- 6— निविदा मोहर बन्द लिफापा के बाहर कार्य का नाम अंकित करना आवश्यक है।
- 7— निविदा स्वीकृत की सूचना भेजने के उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध तथा जमानत जमा नहीं करने पर धरोहर धनराशि जप्त की जायेगी।
- 8— निविदा दाताओं को परामर्श दिया जाता है कि निविदा देने से पूर्व स्थल की स्थिति एवं कार्य आदि का भलि भाँति देख ले, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार द्वारा कार्य आदि के बारे में लगाई गई कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 9— कार्य सन्तोष जनक होने के उपरान्त ही ठेकेदार को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 10— किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये हुए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को सुरक्षित होगा।
- 11— विवाद की स्थिति में वन सरकांक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा चा फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 12— निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार ही जायेगी। डाक के विलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 13— निर्माण कार्य में लगाने वाली सामग्री आगणन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार लगानी होगी।
- 14— नियत समय तक कार्य पूर्ण न होने की दशा में कुल लागत का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर विलम्ब शुल्क देना होगा।

- 15- कार्य पूर्ण करने के लिए अवधि विस्तार देय नहीं होगा।
- 16- किसी भी शर्त में शिथिलता देने हेतु अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
- 17- निविदा प्रपत्रों के साथ निविदादाता द्वारा पैन नम्बर, आधार नम्बर तथा जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- 18- यदि उच्च स्तर से उक्त कार्य किसी अन्य कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा/कराये जाने हेतु आदेश प्राप्त होते हैं तो उक्त निविदा को निरस्त करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(महात्मा यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 163।

13-।

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, वृहत प्रचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0सैल0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 5- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 6- जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 7- वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी।
- 8- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय, अल्मोड़ा वन प्रभाग
- 9- प्रभागीय मानविकार/प्रभारी लेखा, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 10- उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा/रानीखेत।
- 11-नोटिस बोर्ड।

I.T.4.L
अप्लॉड के पाठी में।

✓
CCM
25.9.21

(महात्मा यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।